न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 3/09 अन्तर्गत धारा 75 एल0 आर0 एक्ट

उनवान :– 1. हीरालाल पुत्र हरफूल

2. राजेन्द्र पुत्र नेतराम जाति चमार निवासीयान ग्राम हाजनाका तहसील कोटकासिम जिला अलवर हाल आबाद शिवनगर रेवाडी हरियाणा

:---- अपीलांटान

बनाम

1 तहसीलदार, कोटकासिम जिला अलवर राज0

2 राज पत्नि महेन्द्रपाल निवासी मकान नम्बर 343 सैक्टर नं0 04 पंचकुला हरियाणा हाल आबाद ग्राम हाजनाका तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0

:--------- रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम दिनांक 23.12.08 कमांक/राजस्व/2008/1919

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री शैलेन्द्र भार्गव

2. वकील रेस्पो0स0 1 :– श्री अमर चन्द चौधरी (राजकीय अभिभाषक)

3. वकील रेस्पो0सं02 :– श्री शौरभ आर्य

निर्णय

दिनांक 12.03.2021

---

1 प्रस्तुत अपील उपखंड अधिकारी, कोटकासिम के कार्यालय आदेश दिनांक 23.12.2008 के खिलाफ है, जिस आदेश के द्वारा राजकीय प्राथमिक शाला, हाजनाका को आवंटित खसरा नम्बर 449/290 के नक्शे तरमीम कराने के कार्यालय आदेश कमांक 1694 दिनांक 17.10.2008 को निरस्त करते हुये पूर्व के आदेश को बहाल रखा गया है ।

2 विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि हम उपखंड अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित नहीं थे । उक्त आदे श पारित करने से पूर्व हमको सुना जाना आवश्यक था, क्योंकि अपीलाधीन निर्णय से हमारे हितों पर प्रतिकूल असर पडेंगा । इसलिये हमने धारा 96 सी0 पी0 सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील प्रस्तुत की है । उन्होंने आगे तर्क दिये कि तहत अदालत ने अपना निर्णय पारित करने से पूर्व हमको सुनवाई का अवसर नहीं दिया । राजकीय प्राथमिक शाला, हाजनाका के खेल के मैदान के लिये आराजी खसरा नम्बर 449/290 रकबा 4 बीघा भूमि आवंटित हुई थी । जिसका इंतकाल नम्बर 215

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

दिनांक 27.11.04 को स्वीकार हो गया था । नक्शे में तरमीम के आदेश कमांक 1694 दिनांक 17.10.08 प्रसारित किये गये थे । इसके बाद अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त आदेश दिनांक 17.10.08 को निरस्त कर दिया गया था और पूर्व के आदेश को बहाल रखा गया था । जिसके खिलाफ हमने यह अपील प्रस्तुत की है । यह कि अब जो तरमीम की जायेगी, इससे आवंटित भूमि हमारे खेतों में आ जायेगी । खेल मैदान में लडके खेलेंगे, हमारी फसल को बर्बाद करेंगे । यह कि आवंटित भूमि की किस्म नदी है और नदी की भूमि आवंटित नहीं की जा सकती और ना ही उसमें कोई निर्माण कार्य किया जा सकता । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में 2004 (3) डी0 एन0 जे0 पेज 1245, 2017 (1) डी0 एन0 जे0 पेज 147, 2019 (1) आर0 आर0 टी0 पिज 724, 2011 आर0 आर0 डी0 पेज 25 का हवाला दिया ।

3 विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 02 का कथन है कि मेरी मिल्कियत वाला खसरा नम्बर 99/3, 99/6 एवं 99/7 (जो अब खसरा नम्बर 437/99, 440/99 एवं 480/99 है) की भूमि साबी नदी के पश्चिम तथा खसरा नम्बर 291/2, 291/3, 294/4 (जो अब खसरा नम्बर 453/291, 454/291 एवं 485/291 है) की भूमि साबी नदी के पूर्व में स्थित है । इस प्रकार नदी के दोनों तरफ की भूमि अपीलांट एवं मेरी मिल्कियत वाली भूमि है । जिसमें उपरोक्तत उल्लेखित मेरी भूमि अपीलाधीन निर्णय द्वारा बदल कर काटे गये तितम्बा के पश्चिम व पूर्व में स्थित है । इससे मुझे काफी नुकसान होगा । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः उक्त निर्णय को निरस्त किया जावे ।

4 राज्य सरकार रेस्पो0 संख्या 01 की ओर से पैरवी करते हुये विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्त बताते हुये अपील खारिज किये जाने निवेदन किया ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । साथ ही अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया । अपीलाधीन निर्णय तरमीम कराने के सम्बन्ध में जारी किया गया कार्यालय आदेश है, न्यायिक आदेश नहीं है । ऐसी स्थिति में यह अपील पोषणीय नहीं है ।

6 अतः अपील पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर